Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा: केंद्रीयकरण, सामंतवाद की शुरुआत और प्रांतीय शासन

राहुल कुमार

सहायक आचार्य
इतिहास, राजकीय महाविधालय मासलपुर,करौली (राज.)

प्रस्तावना(Abstract):
प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल (4वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी) को सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से 'स्वर्ण युग' माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही तंत्र के विपरीत, गुप्त साम्राज्य ने एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी, जो विकेंद्रीकरण और शुरुआती सामंतवाद की विशेषताओं से युक्त था। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन संरचना, राजस्व व्यवस्था, न्याय प्रणाली और विशेष रूप से सामंतवाद के बीजारोपण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का मूल्यांकन शामिल है।
अध्ययन में प्राथमिक साक्ष्यों (हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति, फ़ाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, मंदसौर एवं दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख तथा गुप्तकालीन स्वर्ण व रजत मुद्राएं) और द्वितीयक साक्ष्यों के त्रिकोणीयकरण का उपयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा सम्राट के दैवीय अधिकारों पर आधारित था, परंतु व्यावहारिक स्तर पर शासन का वास्तविक संचालन प्रांतीय अधिकारियों (उपरिक) और स्थानीय स्वायत्त इकाइयों (विषयपति एवं नगर श्रेष्ठियों) द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त, भूमि अनुदान (अग्रहार) की परंपरा ने सामंती पदानुक्रम को जन्म दिया, जिसने अंततः साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त किया। प्रस्तुत पत्र प्राचीन भारतीय प्रशासनिक रूपांतरण को समझने हेतु एक मानक संदर्भ ढांचा प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): गुप्त साम्राज्य, प्रशासनिक ढांचा, सामंतवाद, उपरिक एवं विषयपति, भुक्ति एवं विषय, अग्रहार, भूमि अनुदान, देवकुल

1. परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction & Historical Background)

प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य का अभ्युदय (लगभग 319 ईस्वी) राजनीतिक विखंडन के एक लंबे दौर के बाद हुआ। कुषाणों और सातवाहनों के पतन के उपरांत उत्तर भारत में फैली अराजकता को समाप्त कर श्रीगुप्त द्वारा स्थापित और चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त 2 (विक्रमादित्य) द्वारा विस्तारित इस साम्राज्य ने संपूर्ण आर्यावर्त को एक राजनीतिक छत्र छाया प्रदान की।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

मौर्य काल में जहां साम्राज्य की रीढ़ एक अत्यधिक केंद्रीकृत और विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था (18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष) थी, वहीं गुप्त शासकों ने शासन के संचालन के लिए स्थानीय स्वायत्तता, सामंती निष्ठा और विकेंद्रीकृत प्रांतीय तंत्र को प्राथमिकता दी। गुप्त प्रशासन की यह सबसे बड़ी अनूठी विशेषता थी कि इसने राजा के दैवीय स्वरूप को तो स्थापित किया, परंतु प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय निकायों (Local Bodies) और पेशेवर श्रेणियों (Guilds) को अत्यधिक अधिकार सौंपे।

गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को समझे बिना प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर होने वाले सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संक्रमण (Transitional Period) को समझना असंभव है। इस काल में आरंभ हुई भूमि अनुदान प्रथा ने राजनीतिक संरचना में 'सामंतवादी तत्वों' का समावेश किया, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय महाद्वीप की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया।

2. साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

गुप्त कालीन शासन व्यवस्था और सामंतवाद की शुरुआत पर देशी एवं विदेशी शोधकर्ताओं द्वारा व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं:

जॉन फेथफुल फ़्लीट (1888): 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम' (Corpus Inscriptionum Indicarum - Vol. III) में फ़्लीट ने गुप्तकालीन अभिलेखों का संकलन और अनुवाद कर प्रशासनिक शब्दावली (जैसे उपरिक, कुमारामात्य, विषयपति) को समझने का प्राथमिक आधार तैयार किया।

हेमचंद्र रायचौधुरी (1923): 'पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया' में रायचौधुरी ने गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक विस्तार और प्रांतीय सीमाओं का विस्तृत विवरण दिया।

आर. सी. मजूमदार एवं ए. एस. अल्तेकर (1946): 'द वाकाटक-गुप्त एज' में मजूमदार और अल्तेकर ने गुप्तकालीन केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की तुलना मौर्यकालीन व्यवस्था से करते हुए इसे अधिक उदार और जन-कल्याणकारी सिद्ध किया।

आर. एस. शर्मा (1965): 'इंडियन फ्यूडलिज्म (c. 300-1200)' में रामशरण शर्मा ने यह क्रांतिकारी सिद्धांत प्रतिपादित किया कि गुप्त काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए 'अग्रहार' (कर-मुक्त भूमि अनुदान) ने ही भारत में सामंतवाद (Feudalism) को जन्म दिया। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को 'सामंती विकेंद्रीकरण' के प्रारंभिक केंद्र के रूप में चिन्हित किया।

डी. सी. सरकार (1966): 'लैंड लॉर्डिज्म एंड फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया' में सरकार ने आर. एस. शर्मा के सामंतवादी सिद्धांत की आंशिक आलोचना करते हुए तर्क दिया कि भूमि अनुदान मुख्य रूप से धार्मिक एवं प्रशासनिक कारणों से दिए जाते थे, इसे यूरोपीय सामंतवाद के समकक्ष पूरी तरह नहीं माना जा सकता।

रोमिला थापर (2002): 'द अर्ली इंडिया: फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300' में थापर ने गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था, नगर श्रेष्ठियों की भूमिका और प्रशासनिक ढांचे के बहु-आयामी पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

3. शोध की अध्ययन विधि एवं उद्देश्य (Research Methodology & Objectives)

3.1 अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक एवं साक्ष्य-आधारित अनुसंधान कार्यप्रणाली (Historical-Analytical and Evidence-Based Methodology) को अपनाया गया है। इसमें प्राथमिक साक्ष्यों (अभिलेख, मुद्राशास्त्र और यात्रा वृत्तांत) और द्वितीयक साक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है:

प्राथमिक साक्ष्य:

अभिलेखीय साक्ष्य: समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त 2 का मेहरौली लौह स्तंभ लेख, कुमारगुप्त 1 के दामोदरपुर ताम्रपत्र (1, 2, 3, 4 एवं 5) और स्कंदगुप्त का भितरी व जूनागढ़ अभिलेख।

साहित्यिक एवं विदेशी साक्ष्य: फ़ाहियान का 'फ़ो-कुओ-की', ह्वेनसांग का 'सी-यु-की', कालिदास रचित 'रघुवंशम' तथा कामंदक का 'नीतिसार'।

मुद्राशास्त्रीय साक्ष्य: गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने (दिनार) और चांदी (रूपक) के सिक्के।

द्वितीयक साक्ष्य: इतिहासविदों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र, संदर्भ ग्रंथ और पुरातात्विक रिपोर्ट।

3.2 शोध के उद्देश्य

गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासनिक ढाँचे और सम्राट की स्थिति का मूल्यांकन करना।

साम्राज्य के प्रांतीय, विषयीगत और स्थानीय (नगरीय व ग्रामीण) शासन के पदानुक्रम का विश्लेषण करना।

गुप्त काल में सामंतवाद (Feudalism) के बीजारोपण, उसके कारणों और प्रशासनिक दूरगामी प्रभावों की पड़ताल करना।

गुप्तकालीन राजस्व, न्यायिक और सैन्य संगठन की कार्यप्रणाली का समालोचनात्मक परीक्षण करना।

4. केंद्रीय प्रशासन एवं राजतंत्र का स्वरूप (Central Administration & Monarchy)

4.1 सम्राट की स्थिति एवं दैवीय राजतंत्र (Divine Kingship)

गुप्त काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही शासन का मूल आधार थी। मौर्य सम्राटों (जैसे अशोक जिसने 'देवानामप्रिय' की उपाधि ली) की तुलना में गुप्त सम्राटों ने स्वयं को देवताओं के अधिक निकट प्रस्तुत किया। गुप्त शासकों ने 'परमभट्टारक', 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर' और 'चक्रवर्ती' जैसी भव्य एवं आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण कीं।

प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को "पृथ्वी पर विचरण करने वाला देवता" (लोकधाम्नो देवस्य) कहा गया है, जिसकी तुलना कुबेर (धन के देवता), वरुण (जल के देवता), इंद्र (देवराज) और यम (न्याय के देवता) से की गई है। सिक्कों पर राजाओं को धनुर्धर, सिंह-हंता और अश्वमेध याजी के रूप में चित्रित कर उनके अलौकिक पराक्रम को दर्शाया गया।

[गुप्त साम्राज्य का पदानुक्रमित ढांचा]

|

केंद्रीय शासन (सम्राट/परमेश्वर)

|

▼

प्रांत / भुक्ति (उपरिक / गोप्ता)

|

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

▼
जिला / विषय (विषयपति + परिषद)
|
▼
वीथि / पेठ (उप-जिला स्तर अधिकारी)
|
▼
ग्राम (निचली इकाई - ग्रामिक / महत्तर)

4.2 मंत्रिपरिषद एवं केंद्रीय अधिकारी

यद्यपि सम्राट शासन का सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश और विधायिका था, परंतु कामंदक के 'नीतिसार' के अनुसार राजा को मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करना चाहिए। गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का एक सुव्यवस्थित ढांचा था, यद्यपि यह मौर्यों जितना विशाल नहीं था।
गुप्त अभिलेखों में उल्लेखित मुख्य केंद्रीय अधिकारी निम्नलिखित हैं:
कुमारामात्य: यह गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं उच्च वर्ग था। कुमारामात्य कोई एक विशिष्ट पद न होकर एक प्रशासनिक कैडर (Administrative Cadre) था, जिससे उच्च अधिकारियों, प्रांतीय गवर्नरों और मंत्रियों का चयन होता था।
महासांधिविग्रहिक: युद्ध एवं शांति का मंत्री (विदेश मंत्री)। समुद्रगुप्त के समय हरिषेण इस पद पर आसीन थे।
महादंडनायक: मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च पुलिस/सैन्य अधिकारी।
महाप्रतिहार: राजप्रासाद (राजमहल) तथा सम्राट की सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य रक्षक।
महाअक्षपटलिक: अभिलेख विभाग (Archives) और राजकीय दस्तावेजों का प्रधान अधिकारी।
महापीलुपति: गज सेना (हाथी सेना) का प्रमुख।
महाश्वपति: अश्वारोही सेना (घोड़ों की सेना) का प्रमुख।

5. प्रांतीय, विषयीगत एवं स्थानीय शासन (Provincial & Local Administration)

गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। संपूर्ण साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा हेतु कई स्तरों में बांटा गया था।

5.1 प्रांतीय प्रशासन (भुक्ति/देश)

गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें 'भुक्ति', 'देश' या 'भोग' कहा जाता था।
प्रांत/भुक्ति (Provincial Unit)भौगोलिक क्षेत्र (Region)प्रसिद्ध प्रशासक (Governors)
तीरभुक्तिउत्तरी बिहार (वैशाली केंद्र)राजकुमार गोविंदगुप्त
पुंड्रवर्धन भुक्तिउत्तरी बंगाल (बांग्लादेश क्षेत्र)उपरिक चिरात्तदत्त
एरण / मालवा क्षेत्रमध्य प्रदेशमातृविष्णु एवं बुद्धगुप्त काल के अधिकारी
सौराष्ट्र (देश)पश्चिमी गुजरातपर्णदत्त (स्कंदगुप्त द्वारा नियुक्त)

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

प्रांत के राज्यपाल को 'उपरिक', 'गोप्ता', 'राष्ट्रीय' या 'भोगिक' कहा जाता था। सीमावर्ती या महत्वपूर्ण प्रांतों में प्रायः राजपरिवार के राजकुमारों (राजपुत्रों) को ही उपरिक पद पर नियुक्त किया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए चक्रपालित को नियुक्त किया था, जो सौराष्ट्र के गोप्ता पर्णदत्त का पुत्र था।

5.2 जिला प्रशासन (विषय/विषयपति)

प्रत्येक 'भुक्ति' (प्रांत) पुनः कई जिलों में विभाजित थी, जिन्हें 'विषय' कहा जाता था। विषय का प्रधान अधिकारी 'विषयपति' कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति प्रायः प्रांतीय गवर्नर (उपरिक) द्वारा की जाती थी।

दामोदरपुर ताम्रपत्र (कुमारगुप्त 1 के काल का) से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अद्वितीय प्रकाश पड़ता है। विषयपति केवल अकेला शासन नहीं चलाता था, बल्कि उसकी सहायता के लिए एक 4-सदस्यीय 'विषय परिषद' (District Council) होती थी, जो स्थानीय स्वायत्तता का बेहतरीन उदाहरण है:

[जिला विषय परिषद (District Advisory Board)]

1. नगर श्रेष्ठिन (प्रधान बैंकर/व्यापारी)
2. सार्थवाह (व्यापारी संघ का प्रमुख)
3. प्रथम कलिक (मुख्य कारीगर/शिल्पी)
4. प्रथम कायस्थ (मुख्य लिपिक/कायस्थ)

नगर श्रेष्ठिन: नगर का मुख्य बैंकर या सेठ (व्यापारिक समुदाय का प्रमुख)।
सार्थवाह: व्यापारी काफिलों का प्रमुख।
प्रथम कलिक: नगर के शिल्पियों और कारीगरों का प्रधान।
प्रथम कायस्थ: मुख्य लिपिक या सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधक।

5.3 स्थानीय एवं ग्राम प्रशासन

विषय के नीचे की प्रशासनिक इकाई को 'वीथि', 'पेठ' या 'संतक' कहा जाता था।

शासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी। ग्राम का प्रशासन 'ग्रामिक', 'ग्रामध्यक्ष' या 'महत्तर' द्वारा चलाया जाता था। गांव के बुजुर्गों और प्रतिष्ठित नागरिकों की एक संस्था होती थी, जिसे मध्य भारत में 'पंचमंडली' और अन्य भागों में 'महत्तर परिषद' कहा जाता था। यह संस्था गांव की सुरक्षा, सड़कों का निर्माण, कर संग्रह और छोटे-मोटे विवादों का निपटारा करती थी।

6. सामंतवाद की शुरुआत (Emergence of Feudalism in Gupta Era)

गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी सामाजिक-राजनीतिक घटना थी 'सामंतवाद' (Feudalism) का उदय और विकास। यद्यपि सामंत शब्द का प्रारंभिक उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'पड़ोसी राजा' के अर्थ में मिलता है, परंतु गुप्त काल में इसका प्रयोग 'अधीनस्थ श्रेणीबद्ध शासकों' (Hereditary Subordinate Rulers) के लिए होने लगा।

[सामंती पदानुक्रम और प्रभाव का प्रवाह]

|

सम्राट (महाराजाधिराज / परमभट्टारक)

|
▼

महासावंत / सामंत (क्षेत्रीय अधीन राजा)

|
▼

विषयपति / भोगिक (भूमिधारक अधिकारी)

|
▼

अग्रहारधारक (ब्राह्मण / बौद्ध / देवकुल)

|
▼

कृषक / भूमिहीन मजदूर (कर एवं विष्टि प्रदाता)

6.1 भूमि अनुदान प्रथा (Land Grants / अग्रहार)

सामंतवाद की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान देना था। गुप्त काल में धार्मिक और प्रशासनिक कारणों से दो प्रकार की भूमि दान दी जाती थी:

अग्रहार (Brahmadeya): ब्राह्मणों, विद्वानों और बौद्ध मठों को दी जाने वाली कर-मुक्त भूमि।

देवग्रहार (Devagrahara): मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव हेतु दी गई भूमि।

इन भूमि अनुदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनके साथ राज्य ने अपने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी दान प्राप्तकर्ता को सौंप दिए।

दामोदरपुर और इंदौर ताम्रपत्रों के अनुसार, दान में दी गई भूमि पर निम्नलिखित अधिकार (Privileges) हस्तांतरित किए जाते थे:

अचाट-भट प्रवेश्य: राज्य के सैनिक और पुलिस अधिकारी उस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते थे।

कर मुक्ति: दान प्राप्तकर्ता को कोई भूमि कर (भाग, भोग) राज्य को नहीं देना होता था।

दण्ड-अधिकार: उस भूमि पर निवास करने वाले कृषकों पर न्यायिक दण्ड लगाने और जुर्माना वसूलने का अधिकार दान प्राप्तकर्ता को मिल जाता था।

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

6.2 अधिकारियों का वेतन और भूमि आवंटन

गुप्त काल में मुद्रा व्यवस्था (सोने के सिक्के/दिनार) मौजूद होने के बावजूद, निचले स्तर के अधिकारियों और सेनापतियों को नकद वेतन देने के बजाय भूमि के राजस्व का आवंटन (Land Revenue Grants) करने की प्रथा शुरू हुई।

चीन के बौद्ध यात्री ह्वेनसांग (जो गुप्त साम्राज्य के उत्तर-काल में आया था) ने स्पष्ट लिखा कि "राजा के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भूमि का भाग (इनाम) दिया जाता था, जिससे वे अपना खर्च चलाते थे।"

6.3 राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामंती वर्ग का उदय

सामंतवाद के विकास ने गुप्त साम्राज्य की संरचना को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित किया:

पदानुक्रमित उपाधियां: पराजित राजाओं को गुप्त सम्राटों ने उनका राज्य वापस लौटा दिया, परंतु बदले में उन्हें 'सामंत', 'महासामांत', 'मांडलिक' या 'राजन्य' की उपाधियां स्वीकार करनी पड़ीं। समुद्रगुप्त की 'ग्रहणमोक्षानुग्रह' नीति (दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर उनका राज्य लौटाना) ने सामंती संरचना को बढ़ावा दिया।

सैन्य निर्भरता: गुप्त सम्राटों के पास अपनी कोई विशाल स्थायी सेना (मौर्यों की भांति) नहीं थी। वे युद्ध के समय अपने सामंतों द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ियों पर निर्भर रहते थे। जब तक केंद्रीय राजा शक्तिशाली रहा, सामंत नियंत्रण में रहे; परंतु केंद्रीय सत्ता के कमजोर होते ही (स्कंदगुप्त के बाद) इन सामंतों (जैसे वल्लभी के मैत्रक, मंदसौर के यशोधर्मन और मौखरियों) ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया।

7. अर्थव्यवस्था एवं राजस्व प्रशासन (Revenue System & Economy)

गुप्तकालीन राज्य का आधार कृषि और व्यापार था। राजस्व प्रशासन की देखरेख 'महाअक्षपटलिक' और 'समाहर्ता' जैसे अधिकारी करते थे।

7.1 करों के प्रकार (Tax Structure)

गुप्त काल में राज्य द्वारा कई प्रकार के कर वसूले जाते थे, जिनका विवरण अभिलेखों में मिलता है:

कर का नाम (Tax Name)कर का स्वरूप एवं विवरण (Description)

भाग (Bhaga)भूमि कर (उपज का 1/6वां भाग), जो किसान राज्य को देते थे।

भोग (Bhoga)राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, फूल, लकड़ी और सब्जियां।

कर (Kara)ग्रामीणों से लिया जाने वाला आवधिक या विशेष नकद कर।

हिरण्य (Hiranya)नकद के रूप में चुकाया जाने वाला कर (Non-agricultural tax)।

उद्रंग (Udranga)स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला मुख्य भूमि कर।

उपरिकर (Uparikara)अस्थाई या अतिरिक्त कृषकों पर लगाया जाने वाला कर।

शुल्क (Shulka)सीमाओं और व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला चुंगी कर (Custom Duty)।

विष्टि (Vishti)अनिवार्य बेगार या निःशुल्क श्रम (Forced Labor), जो मजदूरों से लिया जाता था।

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

7.2 भूमि का वर्गीकरण

गुप्तकालीन अभिलेखों में भूमि को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया था:
क्षेत्र भूमि: खेती योग्य भूमि।
वास्तु भूमि: निवास करने योग्य भूमि।
खिल भूमि: ऐसी भूमि जो जोती न गई हो या बंजर हो।
अप्रहत भूमि: जंगली या वन भूमि।
गोचर भूमि: पशुओं के चरने हेतु चारागाह भूमि।

8. न्याय एवं सैन्य व्यवस्था (Judicial & Military Administration)

8.1 न्याय प्रणाली (Judicial System)

गुप्त काल में न्याय व्यवस्था मौर्य काल की तुलना में अधिक विकसित और स्पष्ट थी। प्रथम बार दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) कानूनों को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अलग किया गया।
स्मृतियों का संकलन: नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना इसी काल में हुई, जिन्होंने न्याय व्यवस्था के विस्तृत नियम तय किए।
न्यायालयों के स्तर: न्याय व्यवस्था में 4 स्तर के न्यायालय थे:
कुल (Family Council)
श्रेणी (Guild Court - व्यापारियों/शिल्पियों के न्यायालय)
पूग (Local Association Court)
राजकीय न्यायालय (King's Court - सर्वोच्च न्यायालय)
फाहियान के विवरण के अनुसार, गुप्त काल में दण्ड विधान अत्यधिक कोमल था। मृत्युदण्ड प्रायः नहीं दिया जाता था। बार-बार देशद्रोह करने वालों का दायां हाथ काट दिया जाता था। अधिकांश मुकदमों में केवल आर्थिक जुर्माना (Fine) ही लगाया जाता था।

8.2 सैन्य संगठन (Military System)

गुप्त साम्राज्य की सैन्य सफलता उसकी चतुरंगिणी सेना (पैदल, अश्वारोही, गजारोही और रथ) पर आधारित थी। हालांकि, गुप्त काल में अश्वारोही सेना (Cavalry) का महत्व अत्यधिक बढ़ गया और रथों का प्रयोग कम हो गया। गुप्त सिक्कों पर राजाओं को धनुष-बाण और घोड़ों की सवारी करते हुए दिखाया गया है।
सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी:
महाबलधिकृत: संपूर्ण सेना का सर्वोच्च कमांडर (Commander-in-Chief)।
रणभांडागारिक: रसद, हथियारों और सैन्य सामग्री की आपूर्ति का प्रभारी।
भटाश्वपति: घुड़सवार और पैदल सेना का निरीक्षक।

9. समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं मौर्य प्रशासन से तुलना

गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का ऐतिहासिक मूल्यांकन करने के लिए मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से इसकी तुलना करना अत्यंत प्रासंगिक है:

E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

9.1 गुप्त साम्राज्य के पतन में सामंतवाद की भूमिका

यद्यपि गुप्त प्रशासन ने अपनी उदार नीतियों, स्थानीय स्वायत्तता और कला-संस्कृति को संरक्षण देकर एक 'स्वर्ण युग' का निर्माण किया, परंतु इसके भीतर मौजूद 'सामंती व्यवस्था' ही इसके विनाश का कारण बनी।

आर्थिक हानि: अग्रहार भूमि दान से राज्य को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी आई।

सैनिक विखंडन: केंद्रीय सेना के कमजोर होने पर हूणों (Huns) के आक्रमणों का मुकाबला करने में बाद के गुप्त सम्राट असमर्थ रहे।

क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय: यशोवर्मन, मैत्रक और मौखरियों जैसे शक्तिशाली सामंतों ने गुप्त साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र रियासतें बना लीं, जिससे संपूर्ण भारत पुनः क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

संक्षेप में, गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह व्यवस्था मौर्यकालीन अत्यधिक केंद्रीयकृत और कठोर नौकरशाही मॉडल से अलग हटकर विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक उदारवाद की ओर झुकी हुई थी।

गुप्त शासकों ने राजा के 'दैवीय स्वरूप' का ताना-बाना बुनकर केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय और नगर स्तर पर 'विषय परिषदों' और नगर श्रेष्ठियों को शामिल करके 'जन-भागीदारी' का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि, प्रशासनिक सुविधाओं और धार्मिक पुण्य के लिए दी गई कर-मुक्त भूमि (अग्रहार) ने सामंतवाद (Feudalism) के बीजों को सींचा। इस सामंती व्यवस्था ने गुप्त साम्राज्य को अल्पकालिक समृद्धि और प्रशासनिक लचीलापन तो दिया, परंतु दीर्घकाल में इसने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर साम्राज्य के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया।

इसके बावजूद, गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रयोगों—विशेष रूप से प्रांतीय विभाजनों (भुक्ति/विषय), स्थानीय निकायों और न्यायिक संहिताओं—ने भारत के उत्तर-वर्ती मध्यकालीन राज्यों के प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया।

संदर्भ सूची (References)

1. अग्रवाल, वी. एस. (1948). गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति. विश्वविद्यालय हिंदी ग्रंथ अकादमी, इलाहाबाद.
2. अल्तेकर, ए. एस. (1949). गुप्तकालीन मुद्राएं और सिक्के. भारतीय मुद्राशास्त्र परिषद, वाराणसी.
3. ओझा, जी. एच. (1937). प्राचीन भारतीय अभिलेखशास्त्र. भारतीय ग्रंथ प्रकाशन, दिल्ली.
4. कालिदास. (1955). रघुवंशम (संपादक: एम. आर. काले). मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.
5. कामंदक. (1982). नीतिसार (संपादक: के. पी. जयसवाल). चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी.
6. गुप्त, पी. एल. (1970). गुप्त साम्राज्य का इतिहास. विश्वविद्यालय हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.
7. झा, डी. एन. (2004). प्राचीन भारत: एक प्रारंभिक रूपरेखा. ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली.
8. थापर, रोमिला. (2002). द अर्ली इंडिया: फ्रॉम द ओरिजिन टू AD 1300. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. फ़्लीट, जे. एफ. (1888). कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम (Vol. III): इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली गुप्त किंग्स. सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, कलकत्ता.

Advanced International Journal of Multidisciplinary Research
E-ISSN: 2584-0487
editor@aijmr.com
Volume 4, Issue 4, July-August 2026
CrossRef DOI: 10.62127/aijmr.2026.v04i04.1467

10. बाशम, ए. एल. (1967). द वंडर दैट वाज़ इंडिया. सिजविक एंड जैक्सन, लंदन.
11. मजूमदार, आर. सी., एवं अल्तेकर, ए. एस. (1946). द वाकाटक-गुप्त एज. मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.
12. मुखर्जी, आर. के. (1958). द गुप्त एम्पायर. हिंद किताब्स, बॉम्बे.
13. रायचौधुरी, एच. सी. (1953). पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस.
14. शर्मा, आर. एस. (1965). इंडियन फ्यूडलिज्म (c. 300-1200). कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस.
15. शर्मा, आर. एस. (2001). प्राचीन भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
16. शर्मा, आर. एस. (2009). भारत का प्राचीन अतीत. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
17. सरकार, डी. सी. (1966). लैंड लॉर्डिज्म एंड फ्यूडलिज्म इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया. लखनऊ विश्वविद्यालय.
18. सरकार, डी. सी. (1971). स्टडीज इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया. मंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली.
19. सिंह, उपिंदर. (2008). ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया. पीयर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली.
20. श्रीवास्तव, ए. एल. (2005). प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति. लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद.